

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक- शिक्षा-प्रार/निदि/पदा/निदि-2/982/शिक्षक भर्ती, 2021-22/गैर अनुसूचित क्षेत्र/लेवल-प्रथम/2021 दिनांक- 31.12.2021
 राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22
 गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP AREA) हेतु अध्यापक लेवल-प्रथम, सामान्य/विशेष शिक्षा
 विज्ञापन संख्या-01/2021-22 दिनांक-31.12.2021

Website: www.education.rajasthan.gov.in/delocmentary

Email ID : nijukti.ede@gmail.com

फोन नं. 0151-22071147

1. राजस्थान पंचायती राज निदम-1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) के लिए अध्यापक लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी अर्हदकों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) अमूर्तित किये जाते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) के पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र (TSP AREA) सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे।
2. गैर अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत अध्यापक लेवल-प्रथम, सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के विभिन्न पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पदनाम	सामान्य शिक्षा	पदों की संख्या		योग
			सामान्य शिक्षा	विशेष शिक्षा	
1	अध्यापक, लेवल प्रथम	11500	233	64	11840

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) अन्तर्गत सामान्य/विशेष शिक्षा के पृथक-पृथक विज्ञापित पदों के विषयवार/जिलेवार/वर्गवार पदों का विस्तृत विवरण संलग्न है। अभ्यर्थी <http://son.rajasthan.gov.in> अथवा <http://recruitment.rajasthan.gov.in> वेबसाईट पर दिनांक 10.01.2022 से ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

3. ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि- दिनांक 10.01.2022 से दिनांक 09.02.2022 के रात्रि 12:00 बजे तक। उक्त तिथि के पश्चात ऑनलाईन आवेदन का लिंक स्वयं ही निष्क्रिय हो जायेगा।
4. अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश :-

1. राज्य सरकार के आदेश पत्रांक-पं. 7(13) प्राशि/आयो/2019 जयपुर, दिनांक 16.12.2020 के अनुसार राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 लेवल-प्रथम के सम्बन्धित पदों हेतु विज्ञापित वर्गवार पदों की गरीयता सूची (Merit List) में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पाठ्यक्रम 2021 के लेवल-प्रथम में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तंक प्रदर्शित अर्जित करना अनिवार्य होगा-

क्र.सं.	श्रेणी	न्यूनतम प्राप्तीयांक %
1	अनारक्षित/सामान्य	60
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	55
3	भारत श्रेणी की विधवा एवं परिवर्धिता महिलाएं एवं मूलपूर्व शैक्षिक	50
4	निःशुल्कजन श्रेणी	40
5	सहस्रिका आदिम जाति वर्ग (केवल बारां जिले हेतु)	30

2. गैर अनुसूचित क्षेत्र के सिविलियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे।
3. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. आवेदक द्वारा सम्यन्धित पद हेतु एक से ज्यादा ऑनलाईन आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा। अंतिम आवेदन में सूचनाएं अधूरी, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाई जाती हैं, तो इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. यदि कोई अभ्यर्थी अध्यापक लेवल प्रथम में सामान्य एवं विशेष शिक्षा दोनों पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखता है तो अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग आवेदन करना होगा एवं प्रत्येक आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
6. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में शैक्षिक एवं प्रारम्भिक परीक्षाओं एवं सैल-2022 से संबंधित समस्त सूचनाएं (रोल नम्बर, प्राप्तंक, पूर्णांक, उतीर्ण करने का वर्ष, विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम, विषय) भरनी अनिवार्य है।
7. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्ध प्राथमिकता (Preferrence) देनी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) के जिलों की प्राथमिकता के अनुसार 50 जिले भरने अनिवार्य होंगे।

(Handwritten signature)

5. अध्यापक लेवल-प्रथम के पद हेतु वांछित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं सहित, रीट-2021 के लेवल-प्रथम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (विस्तृत विवरण हिन्दू संख्या 10 के अनुसार)
9. विमान द्वारा विज्ञापित जिलेवार पदों में कनों/वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए पृथक से कोई विज्ञापित नहीं की जावेगी।
10. आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के दिश-निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होंगे।
11. दृष्ट्युक्त आवेदकों को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित शुल्क के अन्त में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
12. यदि आवेदक के द्वारा ऑनलाईन आवेदन में जानबूझ कर असत्य/गलत सूचनाएँ अंकित की जाती हैं या कोई तथ्य छिपाता है, तो अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. आवेदन शुल्क :-

आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-नित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से जमा करावेंगे।

क्र.सं.	वर्ग	राशि रु.में
1	सामान्य वर्ग व शीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं राजस्थान राज्य से निम्न अन्त राज्यों के रागरत अभ्यर्थियों हेतु	100/-
2	राजस्थान के शीमिलेयर श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्यपिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु	70/-
3	राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया आदिन जाति वर्ग के आवेदक हेतु	80/-
4	राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के निशक्तजन एवं जिनकी परिवारिक आय रु. 250 लाख से कम है उन आवेदक हेतु	60/-

नोट-अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञापित के प्रवधानों के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन शुल्क जमा करवाने के बाद वापस नहीं लौटाया जायेगा तथा निर्धारित आवेदन शुल्क के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा, इस संबंध में आवेदन की अन्तिम स्थिति के पश्चात किसी भी प्रकार का दस्तावेज/प्रागण पत्र स्वीकार नहीं होगा।

6. ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया :-

1. राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 अन्तर्गत अध्यापक लेवल-प्रथम के पद हेतु आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को www.sso.raajasthan.gov.in पर अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा, यदि अभ्यर्थी की [SSO ID](http://www.sso.raajasthan.gov.in) पूर्व में बनी हुई है तो उसी [ID](http://www.sso.raajasthan.gov.in) से आवेदन कर सकता है अन्यथा उक्त वेबसाइट पर New a registered user पर क्लिक कर पंजीयन करवाये। पंजीयन करवाने के पश्चात् [SSO-ID](http://www.sso.raajasthan.gov.in) एवं पसवर्ड से लॉगिन किये जाने पर ऑनलाईन वेबसाइट <http://www.sso.raajasthan.gov.in> के होमपेज पर On-line Recruitment पर उक्त विभाग भर्ती के लिंक पर आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई-नित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र/स्वयं के माध्यम से भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने वाले प्रत्येक आवेदक (यानि आवेदक स्वयं ऑन-लाइन आवेदन करें या ई-नित्र/जन सुविधा केन्द्र से ऑन-लाइन कराये) को निर्धारित आवेदन शुल्क तथा 30/-रु. (जीएसटी अतिरिक्त) (ई-नित्र कियोस्क/जनसुविधा) जमा करवाना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अनुदेश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व विभाग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापित, पंचायतीराज नियम 1996 एवं एन.सी.टी.ई की अधिसूचना दिनांक 23.08.2018 एवं 29.07.2019 तथा इनके संबंध में सम्बन्धित पर किये गये संशोधन का संबंधित पूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आवेदन करें।
3. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन अन्तिम रूप से SUBMIT करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि ई-नित्र/जन सुविधा केन्द्र/स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं; त्रुटि पूर्ण एवं असत्य/अपूर्ण प्रविष्टियों के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी, गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा। गलत सूचनाएँ अंकित करने एवं कृपया दस्तावेजों को अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अन्त में लाई जायेगी। आवेदक के द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही नमकर विभाग द्वारा अपात्री कार्यवाही की जायेगी।

4. ऑनलाईन आवेदन Submit होने के पश्चात उस आवेदन के क्रम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा, यदि आवेदन में संशोधन अपेक्षित है, तो उस ऑन-लाईन नया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरना होगा, साथ ही आवेदन Submit होने की सुनिश्चिता कर लें। आवेदन अन्तिम रूप से स्वीकृत नहीं होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
 5. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी एवं आधार नम्बर अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी बदलने/बन्द होने/नेटवर्क सम्बन्धित होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी के स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
 6. अभ्यर्थी विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में ऑनलाईन आवेदन को अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना ऑनलाईन आवेदन करे, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क या अन्य समस्याओं के कारण आवेदन सबमिट नहीं करने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होकर संबंधित अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी।
 7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं स्त्रियां आदि वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्त/विशेष सैन्यजन/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करे अन्यथा ऑनलाईन आवेदन सबमिट करने के अन्तिम निर्धारित दिनांक के पश्चात किसी प्रकार का वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो स्टाफ के वर्ग का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विभाजित पदों हेतु देय नहीं होगा एवं ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन करा है से संबंधित प्रभाग-पद/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
 8. विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिये गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जायेगी, यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्टाफ आवेदक की होगी।
7. **जिलेवार पद** :- नैर अनुसूचित क्षेत्र (NON-TSP AREA) के अन्तर्गत अध्यापक लेवल-प्रथम, सामान्य एवं विशेष शिक्षा (एम.ए.टी.आई.एच.आई.) के जिलेवार/वर्षवार विभाजित पदों का विस्तृत विवरण प्रपत्र 1 पर संलग्न है। जिलेवार विभाजित पदों में कनै/पृष्ठि की जा सकती है।
8. **आरक्षण** :- नियुक्ति के समय में आरक्षण प्रावधानों का विस्तृत विवरण विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 12 पर उल्लेखित है।
9. **वेतनमान**:- राजस्थान पंचायतीराज नियम-1996 के नियम 28E के अनुसार नवचयनित अभ्यर्थियों को 02 वर्ष के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जायेगी। राजस्थान रिजिल सेवा पुनरोचित वेतनमान नियम-2017 के नियम 16 की अनुसूची (iv) के अनुसार परीक्षाकाल में चयन पारिश्रमिक रूप से 23703/- देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, भंडगाई भत्ता, शहरी कृतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परीक्षा अगति में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान पंचायतीराज नियम एवं राजस्थान सेवा नियमों में विहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। जो वर्ष की परीक्षा प्रशिक्षु अगति के सत्तापक पूर्ण होने के उपरांत ही उक्त की वेतन भूखला का नियमित वेतनमान लेवल 10 के अनुसार देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: एफ.13(1)एफसी/रूल्स/03 (रेशन 5/05) दिनांक 02.08.2005 के अनुसार नयी पदों/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना का प्रावधान लागू होगा।
10. **राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 के अन्तर्गत लेवल-प्रथम के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यताएं:-**
 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 25B में उल्लेखित योग्यताओं के अनुसार निम्नलिखित एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा (23) के उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 एवं 29 जुलाई 2011 के द्वारा संशोधित अधिसूचना में वर्णितानुसार न्यूनतम योग्यताएं एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे :-
- 10.1 **कक्षा 1 से 5 (स्तर प्रथम) के लिए :-**
- A. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता है)
 Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By whatever name known)
- अथवा
- न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाय तो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) दिनांक-2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो,

Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations-2007

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षकों के लिये)

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year diploma in Education (Special Education) (For Special Teachers)

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (याइसे जिस किसी नाम से जाना गया हो)

Graduation with 2 year diploma in Elementary Education (By whatever name known)

नोट-उच्च माध्यमिक परीक्षा के न्यूनतम श्रेणीक प्रदर्शित के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक पं. 7(13)/प्राशि/आयो/2019 दिनांक 20.12.2021 के अनुसार निर्माणाित अभ्यर्थी राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीडी सर्ती, 2021-22 में आवेदन हेतु पत्र होंगे-

केंद्र समाप्ति स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामलों में लागू नहीं होगी, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिनांक 29 जुलाई 2011 से पहले दखिला ले लिया था।

(i) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है, उनके अर्जा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने की बाध्यता है।

B. राजस्थान अध्यापक पाठ्यता परीक्षा-2021 (लेवल प्रथम) राज्य सरकार के आदेश पत्रांक.पं.7(13) प्राशि/आयो/2019 जयपुर, दिनांक 16.12.2020 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए (टिप्पणी के विन्दू संख्या 4.1 में उल्लेखितानुसार)

अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पदों हेतु प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डी.एल.एड. सामान्य शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पदों हेतु शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा :- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मन््यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) तथा विशेष शिक्षा के लिए केंद्र स्तरीय पुनर्वसु परिषद (एन.सी.आई.) द्वारा मन््यता-प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।

विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण-बड़ व्यक्ति, जिसने डी.एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण भी हो, नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 8 घण्टे का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

लेवल प्रथम के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदण्डों में अर्थात् रूज से कमलोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सदरिना एवं विशेष योग्यजन वर्ग एवं सामान्य वर्ग को विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत अंक की छूट देय होगी।

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं (शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पाठ्यता परीक्षा आदि) अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे।

11. नियुक्ति हेतु निरर्हता :-

i. राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी मन््य नहीं होगा जिसके 07.06.2012 से वा इसके पश्चात दो से अधिक संतानें हैं, परन्तु दो से अधिक संताना वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्दिष्ट नहीं सन्झा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या जो 1 जून 2002 को थी, में वृद्धि न हो, परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्व के प्रसव से एक संतान हो किन्तु किसी पश्चात्पत्नी एकल प्रसव से एकाधिक संतानें जन्म ले लें तब संतानों की कुल संख्या निम्ने समय इस प्रकार अपनी संतानें एक समझी जायेगी.

- i. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियों हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दे।
- ii. कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी, जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे।
- iii. यदि अभ्यर्थी—(a) अच्छे क्षेत्र का नहीं है, या (b) किसी भी अन्य पंचायती राज संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा से अपभार के कारण पदच्युत किया गया है, या (c) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्दलित है, या (d) किसी पंचायती राज संस्था या किसी नगरपालिका का सदस्य है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- v. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण:-

इस नियम के प्रयोजन के लिए "दहेज" का वही अर्थ है, जो दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961 (1961 को केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) में दिया गया है।

नोट:- उल्लेखित शर्तों को छुपाने पर यदि अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा वह विभागीय/कागजी कार्यवाही का स्वयं उत्तरदायी होगा।

12. नियुक्ति हेतु आयु सीमा एवं आस्थापन प्रावधान-

12.1 आयु सीमा :

राजस्थान पंचायती राज नियम 1998 के नियम 265 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में शिक्षक लेवल- प्रथम के तद पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से अधिक न हो तथा 40 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ नहीं होना चाहिये। पंचायती राज विभाग को अधिसूचना क्रमांक T.433/An/ Rules/Legal/24/2010/1095 दिनांक 21.06.2010 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में शीट भर्ती के पदों हेतु भर्ती नहीं हुई है और कोई आवेदन उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसी आयु की दृष्टि से पात्र बना जायेगा, किन्तु यह छूट 03 वर्ष से अधिक नहीं दी जायेगी, अतः इस प्रावधान के अनुसार आवेदकों की शीट भर्ती का अंतिम वर्ष 2018 के बाद नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती, 2021-22 में समस्त वर्ग के आवेदकों को अतिरिक्त आयु सीमा में 03 वर्ष की शर्त छूट दी जायेगी।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय है:-

- i. राजस्थान राज्य के नून निवासी अर्थात् रूढ़ से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहरीय वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये ऊपर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
- ii. रामानुज वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों की तमसा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये ऊपर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
- iii. राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहरीय वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये ऊपर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
- iv. भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- v. पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, 03 वर्षों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की कालावधि तक शिक्षितनीय होगी।
- vi. विधवाएँ एवं तलाक़शुदा महिलाओं के मामलों में अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : उसे विधवा होने के मामले में सक्षम अधिकारी से जारी पॉस्ट की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाक़शुदा होने के मामले में नियमानुबन्धित माननीय न्यायालय से जारी विवाह-विच्छेद को देखा प्रस्तुत करने होगी।

- vii. जो व्यक्ति किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद के अधीन अपनी अर्थात् नियुक्ति के साथ पेशित आयु सीमा के अन्तर्गत रहने के लिए ऊपरी आयु सीमा, पंचायत समिति या जिला परिषद के अधीन उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक शिक्षितनीय होगी।

- viii. ऊपर उल्लेखित उमरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैंदी के मामले में लागू नहीं होगी जो उराकी देशसिद्धि से पूर्व किसी भी पद पर अधिस्तरीय ऊपार पर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधीन सेवा कर चुका है और इन नियमों के अधीन वह नियुक्ति का पात्र था।
- ix. ऊपर उल्लेखित उमरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैंदी के पदों में जो अपनी सेवाशोधा के पूर्व आर्थिक तंत्र का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, नुक्त कारावार की अवधि के बराबर कालावधि तक स्थित ली जायेगी।
- x. मानजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यारजन अर्थात् नियम-2018 के उपनियम 8-A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैचमाक निशकतजन अभ्यर्थियों के उमरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार उमरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।
- नोट :-उपरोक्त पैरा के प्रावधान i से x तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान अंतर्धी (Not Cumulative) है, अर्थात् दिव्यारजन अभ्यर्थियों के छूटकर अन्य अभ्यर्थियों के उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। आवेदक को इस विज्ञापन में दे गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

12.2 आरक्षण प्रावधान :

- i. कार्गिक (क-2) विभाग के परिषद दिनांक 28.07.2017 के अनुसार अनासकित पदों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग (राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग/राजस्थान के अति पिछडा वर्ग/राजस्थान के अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के सहरिया आदिम जाति वर्ग) के फेरल से ही आवेदक पत्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रोक्यत का लाभ नहीं उठाया है।
- ii. राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 अन्तर्गत जिलेवार/लेगलवार/वर्षवार विद्युत पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग नॉन क्रिमीलेयर/अति पिछडा वर्ग नॉन क्रिमीलेयर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष योग्यजन/भूतपूर्व सैनिकों/उत्कृष्ट खिलाड़ियों/भडिलाओं (विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओ सहित) व वारा जिले के सहरिया आदिम जाति का नियमनरार आरक्षण देय होगा।
- iii. राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
- iv. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति वर्ग के विद्ये आरक्षित पद केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,अन्य पिछडा वर्ग,अति पिछडा वर्ग,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के राज्य के स्थाई निवासी है से ही गरे जायेंगे।
- v. मननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या: 1085/2013 वीरसिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को इन वर्गों हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा, अतः राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य के स्थाय आवेदक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
- vi. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 8425/2013 रंजना कदरं व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2010 एवं मननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी बी शेराल अपील संख्या 1118/2018 राज्य सरकार व अन्य बनाम मंगू यादव व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य में गिरफ्त उपरान्त प्रवासित हुई आरक्षित वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति) की महिला अभ्यर्थी को उनके वर्ग के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा, अतः ऐसी महिला अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करना होगा।
- vii. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में अपने श्रेणी से संबंधित कॉलम में संबंधित श्रेणी का अंकन करने पर ही उन्हें उस वर्ग का लाभ देय होगा।
- viii. भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी कोट के पदों पर केवल राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही इन पद हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय होगा एवं ऑनलाईन आवेदन में महिला सुधन का अंकन करना अनिवार्य होगा। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

(अ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.07.2018 के अनुसार किंतु वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिये राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पत्र उभयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दूर में उनके लिये इस प्रकार अरक्षित रिक्तियों को पर्यन्तवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिये अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां स्वान्त प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिये संगणित नहीं किया जायेगा, परन्तु यह और कि इस उपनियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण का प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथा स्थिति अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों में से भरा जा सकेगा जिसके लिये ऐसी रिक्ति पर्यन्तवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

(ब) राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उभयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

12.3 भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्रावधान :-

- I. भूतपूर्व सैनिक:-
 - (क) प्रोवेंशा (थल जल वायु सेना) सेवाओं से सेवानिवृत्त के सन्दर्भ आदेशक का चरित्र 'अच्छ' से कम नहीं होना चाहिये ऐसा कि उसकी सेवानिवृत्ति में परेशानी हो।
 - (ख) प्रतिरक्षा रक्षा से सेवा मुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।
- II. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आभेक्षण) नियम-1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं स्त्रियाँ) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत स्थापित किया जायेगा। उभयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा।
- III. अभ्यर्थी का वर्ग भूतपूर्व सैनिक होना आवश्यक है, न कि उसका आशित या संबंधी का होना।
- IV. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.07.2018 के अनुसार कोई व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी 01 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण-पत्र (NOC) के आधार पर अपनी पेशवा अर्जित करने के पश्चात् पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, किन्तु उसे समुचित चयन आधिकारण को दस्तावेज सत्यापन के शाय सेवानिवृत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- V. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.05.2019 के अनुसार जब किसी सैनिक द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.07.2018 के तहत किसी पद हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक के सम्बन्ध में यदि उसका सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (यदि भविष्यवर्ती हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, तो लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन जैसी भी स्थिति हो, की तिथि तक सेवा निवृत्ति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उस सेवा निवृत्ति का प्रमाण-पत्र माना जायेगा तथा इस आधार पर आवेदक को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाभ देय होंगे। इस आदेश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें सेट मुक्ति की तिथि तक कार्यग्रहण अवधि में शिथिल प्रदान कर सकेगा है।
- VI. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशवा अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी 01 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिये आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु पद ग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवा निवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन करता है और दस्तावेज सेवा निवृत्ति से पूर्व पेशानित हो जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी पद ग्रहण की कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवा निवृत्ति के 09 माह की अवधि के भीतर-भेतर पद ग्रहण करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा अर्थात् प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिये 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि से की जायेगी।

VII. कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ. 5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट दिनांक 30.10.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ. 5(18) डीओपी/क-2/84 पार्ट-1 दिनांक 01.09.2017 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के संबंध में व्यक्ति जो राज्य में बरी हुए हैं, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है अनिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जाएगा।

VIII. किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी नौ लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रस्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employees) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुनियोजन स्वीकार करते ही उक्त भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जाएगा, परन्तु संघी पदों के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने का कारण भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जाएगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, निम्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, निम्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन को तारीख दस जूरी के बारे में स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक वर्ग के फायदे से विवृजित नहीं किया जाएगा।

IX. भूतपूर्व सैनिक जो राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संदिवा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किए गए हैं तो भूतपूर्व सैनिक वर्ग के फायदे से विवृजित नहीं किया जाएगा।

12.4 उत्कृष्ट खिलाड़ियों संबंधित प्रावधान -

- I. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21.11.2018 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अनेकक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, निछाडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं सहश्रिता) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अनारगत समदर्शित किया जाएगा। उक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों का निर्धारण सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा।
- II. उत्कृष्ट खिलाड़ी शर्त में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन एवं नियुक्ति हेतु पात्र होंगे जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2018 में वर्णित योग्यता रखता हो, इनसे निम्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षण पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- III. उत्कृष्ट खिलाड़ी से आशय-

(क) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31) डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21.11.2018 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है एवं जिन्होंने निम्न कारणों से उल्लेखित खेल संस्था द्वारा आयोजित खेल-कूद/टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत या टीम स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो-

क्र. सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप का नाम
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एच.ए.ओ.सी)	दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्यतः सफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिषद (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिषद	विश्व कप/द्विध्व चैम्पियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद के संबन्धित एशियन खेल परिषद	एशियन चैम्पियनशिप
7	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिषद (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप

CP

अथवा

स्कूल नेटवर्क फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल मेचर में व्यक्तिगत टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

अथवा

इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एल.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/ चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

अथवा

एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित आल इण्डिया इन्टर यूनिवर्सिटी के किसी खेल कूद में किसी व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

अथवा

इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमीटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेल कूद की नेशनल चैम्पियनशिप/पैरा नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल नेम्स/नेशनल पैरा नेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में राज्यस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

(ख) संकूच क्लिफ्टी श्रेणी में दो अस्पर्धी पत्र होंगे जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन को अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व तक का खेल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

नोट: यहां यह ध्यान दें कि यदि किसी अस्पर्धी ने जान-बूझकर बिना सक्षम सहित गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की तो विभाग द्वारा अस्पर्धी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

2.5 विशेष योग्यजन अस्पर्धियों के लिये प्रावधान :-

- I. मानविकि न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2019 के द्वारा राज्यस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2018 लागू किये गये हैं, अतः उक्त नियमों के अनुसार विशेष योग्यजन अस्पर्धियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
- II. राज्यस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2018 के नियम-6(2) वी के अन्तर्गत गठित समिति के वेकफ दिनांक 10.12.2021 में लिये गये निर्णयानुसार निम्नलिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण का लाभ देय होगा:-

1. अध्यापक-लेवल प्रथम, सामान्य शिक्षा

क्र.सं.	सहृ	उपयुक्त बैठमाले दिव्यांगता	देय आरक्षण प्रतिशत
1	(अ) दृष्टि कथित	बी (निम्नरी), एल.वी (कम दृष्टि)	01 %
2	(ब) श्रवण कथित	एच.एच (किंग शुनने बला)	01 %
3	(स) स्तम्भ पारसी, कुच रोग, बंधन, एचिड पीडित, मासपेशियों की डिस्टोफी सहित चलन-निश्चयता	ओ.ए. (एक भुजा), ओ.एल. (एक पैर), बी.एल. (दोनों पैर), ओ.ए.एल. (एक भुजा और एक पैर), सीपी (अप्रतिष्ठित ज्ञातता), एल.सी (कुछ उपचारित), डी.डब्ल्यू. (दीर्घकाल), एच.पी (एचिड समल पीडित)	01 %
4	(द) अटिज, बौद्धिक निश्चयता, जीवन निश्चयता एवं मानसिक रुग्णता	एच.आई (विशेष अकेन अक्षयता), एच.आई (मानसिक रुग्णता)	01 %
5	(इ) बहु दिव्यांगता (एच.डी.)	एच.डी (बहु दिव्यांगता) (उपरोक्त डा. से उ क्लेलाकर)	

2. अध्यापक, विशेष शिक्षा, पी.आई. (ब्लाइन्ड/कम दृष्टि के लिए) :-

क्र.सं.	सहृ	उपयुक्त बैठमाले दिव्यांगता	देय आरक्षण प्रतिशत
1	(अ) दृष्टि कथित	बी (निम्नरी), एल.वी (कम दृष्टि)	01 %
2	(ब) श्रवण कथित	एच.एच (किंग शुनने बला)	01 %
3	(स) स्तम्भ पारसी, कुच रोग, बंधन, एचिड पीडित, मासपेशियों की डिस्टोफी सहित चलन-निश्चयता	ओ.ए. (एक भुजा), ओ.एल. (एक पैर), बी.एल. (दोनों पैर), ओ.ए.एल. (एक भुजा और एक पैर), सीपी (अप्रतिष्ठित ज्ञातता), एल.सी (कुछ उपचारित), डी.डब्ल्यू. (दीर्घकाल), एच.पी (एचिड समल पीडित)	01 %
4	(द) अटिज, बौद्धिक निश्चयता, जीवन निश्चयता एवं मानसिक रुग्णता	एच.आई (मानसिक रुग्णता)	01 %
5	(इ) बहु दिव्यांगता (एच.डी.)	एच.डी (बहु दिव्यांगता) (उपरोक्त डा. से उ क्लेलाकर)	

3. अध्यापक, विशेष शिक्षा, एम.आई. (सुनवाई और मापण बाधा के लिए) :-

क्र.सं.	समूह	उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगता	देय आरक्षण प्रतिशत
1	(अ) श्रवण बाधित	डी. (बहरा), डबल (डिंघा सुनने वाले)	1.33 %
2	(ब) श्रवण नाली, कुष्ठ रोग, बीनपन, एरिड पीडित, नरमेशिया की डिस्टेंस शक्ति चलाने-शक्तता	ओ. (एक मुज), ओ.एल. (एक पैर), पी.एल. (दोनों पैर), ओ.एल. (एक मुज और एक पैर), एल.पी. (कुष्ठ रोग), डी.एल. (दोनों पैर), एल.पी. (एरिड समता पीडित)	1.33 %
3	(स) ऑटिस्म, वैदिक निशक्तता लिंग निशक्तता एवं मनसिक कमजोरी	एस.आई. (मानसिक कमजोरी)	1.34 %
4	(द) बहु दिव्यांगता (एम.डी.)	एम.डी. (बहु दिव्यांगता) (उपरोक्त अ से स मिलाकर)	

4. अध्यापक, विशेष शिक्षा, एम.आर. (मानसिक विमोहित के लिए) :-

क्र.सं.	समूह	उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगता	देय आरक्षण प्रतिशत
1	(अ) श्रवण बाधित	वी. (बलीन), एल.पी. (कम दृष्टि)	01 %
2	(ब) श्रवण बाधित	एस.एच. (दोनों सुनने वाले)	01 %
3	(स) श्रवण नाली, कुष्ठ रोग, बीनपन, एरिड पीडित, नरमेशिया की डिस्टेंस शक्ति चलाने-शक्तता	ओ. (एक मुज), ओ.एल. (एक पैर), पी.एल. (दोनों पैर), ओ.एल. (एक मुज और एक पैर), पी.एल. (प्रभारितकिय प्रभावता), एल.पी. (कुष्ठ उपचारित), डी.एल. (दोनों पैर), एल.पी. (एरिड समता पीडित)	01 %
4	(द) ऑटिस्म, वैदिक निशक्तता लिंग निशक्तता एवं मनसिक कमजोरी	एस.आई. (रोग) (ऑटिस्म स्पेशल डिजाइन -अ-वक्त), एल.एल.पी. (विशेष अधिमान अक्षमता), एम.आई. (मानसिक कमजोरी)	01 %
5	(इ) बहु दिव्यांगता (एम.डी.)	एम.डी. (बहु दिव्यांगता) (उपरोक्त अ से स मिलाकर)	

- III. विशेष योग्यजन के लिये दशांश ग्ये आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षणगत (Horizontal) होगा अर्थात् अभ्यर्थी निम्न प्रदर्श (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ लहरिया वर्ग) का होगा उसे उसी प्रदर्श के अन्तर्गत सम्मोजित किया जावेगा।
- IV. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अज्ञेयित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उक्त रिक्ति को निशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकता।
- V. विशेष योग्यजन द्वारा ऑनलाइन आवेदन में राजस्थान पर अपने वर्ग एवं योग्यजन होने की श्रेणी विशेष का उल्लेख करने पर ही नियमानुसार सम्बन्धित वर्ग में आरक्षण का लाभ देय होगा।
- VI. ऐसे उम्मेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी विशेष योग्यजन होने के संबंध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2018 में वर्णित प्रक्रिया से प्रदत्त विशेष योग्यजन होने का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रदत्त निशक्त(विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का होने पर ही उम्मेदक को विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।
- VII. इस श्रेणी में आरक्षण हेतु केवल स्थाई विशेष योग्यजनता को ही मान्य किया जाता है, अस्थायी विशेष योग्यजनता को नहीं।
- VIII. विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र द्वारा भर्ती में आवेदन करने की कतिम तिथि से पूर्व का होगा अनिवार्य है।
- IX. कर्मिक विभाग की अद्यतन दिनांक 14.10.2022 के अनुसार उपयुक्त बैचमार्क विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों का उपरी आडु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

12.6 महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रावधान :-

1. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रयोगानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उक्त सम्बन्धित प्रदर्श में जिसकी है महिला अभ्यर्थी है, उसी में अनुभाषिक रूप से सम्मोजित किया जावेगा।

CP

स्पष्टीकरण:-

- किरी वर्ग (सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहारेया आदिम जाति वर्ग) की पत्र एवं उपर्युक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से सामान्य प्रक्रियानुसार भरा जा सकेगा।
- II. अधिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहारेया वर्ग में आवेदन करने वाली **विवाहित महिला आवेदक** को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जाड़ी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा एवं अरक्षित वर्ग के पद के लिये उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - III. गृहिणीयों हेतु वर्गीय गने पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परिव्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) के लिये आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परिव्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इन प्रकार यदि पर्याप्त परिव्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए अरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परिव्यक्ता महिलाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा।
 - IV. किरी वर्ग (सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहारेया वर्ग) की पत्र एवं उपर्युक्त विधवा/परिव्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के दरभिता प्राप्त अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
 - V. किरी वर्ग में पर्याप्त संख्या में सामान्य /विधवा/परिव्यक्ता महिलाएं उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के दरभिता प्राप्त पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
 - VI. विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नदि की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परिव्यक्ता महिला (विवाह-विच्छिन्न) आवेदक होने की स्थिति में सक्षम न्यायलय द्वारा जारी विवाह-विच्छेद को डिक्री/आदेश इस नदि में ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना अनिवार्य है।
 - VII. राजस्थान राज्य में अन्य राज्यों से विवाह उपरान्त राजस्थान में प्रवासित एवं स्थाई निवास करने वाली आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को महिलाओं हेतु उस वर्ग में अरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य महिला अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें।
 - VIII. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को सामान्य महिला अभ्यर्थी के रूप में कन्सीडर किया जायेगा। अतः ऐसी महिलाएं अनारक्षित पदों के विरुद्ध सामान्य महिला के रूप में आवेदन करें।

13. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-

- I. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ लेनी देय होगा जब उनके मूल दस्त-वेजों को जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार निशुचित हेतु पात्र है।
- II. आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होगा।
- III. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रिमीलेयर एवं गॉन क्रि-मोलेटर की प्रविष्टियां शही एवं पूर्ण रूप से भरी हुई हो एवं नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- IV. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र को पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- V. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहारेया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहारेया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- VI. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी Income & Asset Certificate प्रस्तुत करना होगा।

JP

- VII. अद्यतन के नद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता से संबंधित परीक्षाएं ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित अंतिम दिनांक से पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यता संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- VIII. भूतपूर्व सैनिकों के नवीं हथु आरंभिक पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देया होगा।
- IX. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों का लाभ देया होगा।
- X. विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पत्र गांठे का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से बैंक ऐस दस्तावेज/राज्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- XI. नरैत्यकता/विवाह विच्छेद श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा पाननीय न्यायालय द्वारा जारी विच्छेद विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।
- XII. शासन के परिवार क्रमंक सं.8(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.09.2008 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- XIII. रिजर्वेट महिलाओं के लिये स्तान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं विधवा और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी सपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- XIV. अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें शैक्षणिक संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राज्याधिकार अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
- XV. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होना या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचारधेन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
- XVI. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।
- XVII. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियुक्ता को इस भती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति के अभाव त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।
- XVIII. उक्त सनस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देया नहीं होगा।
- XIX. आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जायेगी है, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी सनस्त उत्तरदायित्व स्टैंड अवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों को जांच के समय पात्र नहीं पाये जान पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा, जनबुझ कर गलत सूचना भर जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियन्त्रणानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- XX. किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में टैचेर (Teacher) किये गये आवेदक जिनके टैचेर (Teacher) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।

14. **चयन प्रक्रिया** :- राज्य सरकार के आदेशांक पं.5(51)प्रशि/2020 दिनांक 27.12.2021 के प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय वरीयता एवं चयन सूची तैयार करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

1. राजस्थान पंचवर्षीय राज नियम-1998 के नियम 277(क) के उपनियम (vi) के अन्तर्गत अध्यापकों की इस सोधी मर्त -2021-22 हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जायेगी।
2. अध्यापक लेवल प्रथम के पद हेतु राजस्थान अध्यापक पाठशा परीक्षा-2021 (लियाव प्रथम) के कुल प्राप्तक प्रतिशत के आधार पर राज्य स्तरीय वरीयता सूची तैयार की जायेगी।
3. अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाएं एवं प्रश्नांकों के आधार पर संबंधित पद की दंगवार रिक्तियों की 02 गुणा अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टेड सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी की जायेगी।
4. प्राथमिक एजेन्सो (अभिकरण); (निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज (प्रशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर) द्वारा शॉर्ट-लिस्टेड सूची के अभ्यर्थियों के प्रारम्भिक स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही विनाग स्तर पर करवाई जायेगी तथा दस्तावेज सत्यापन उपरान्त प्राप्त पाये गये अभ्यर्थियों की देखभाल दंगवार पदों के अनुसार दंगवार कटऑफ जाची कल उनकी मॉरेट एवं सूची जारी की जायेगी। निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा पद विषय एवं जिलावार दिये गये विकल्पों के आधार पर निर्देशालय स्तर पर पद-विषयवार सूचियों का अंतिमिकरण करके जिला आवंटन की कार्यवाही की जायेगी जिसके तहत -
 - A. यदि किसी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पद-विषय पर चयन होता है तो उसके द्वारा दिये गये विकल्पों में से चुने गये उच्च प्राथमिकता के विकल्प के आधार पर एक पद-विषय में जिला आवंटन किया जायेगा। शेष अन्य प्राथमिकताओं की पद एवं विषय की चयन सूची से उसका चयन निरस्त किया जायेगा।
 - B. अभ्यर्थियों से विकल्प एवं जिलावार विकल्प हेतु निर्धारित कल्पण/तिथि तक की जायेगी। यदि किसी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पद-विषय पर चयन होता है एवं तब तक तिथि तक अभ्यर्थी से कोई रैसॉर्स/विकल्प प्राप्त नहीं होता है तो विभाग द्वारा अभ्यर्थी को सबसे अधिक देखभालित पद-विषय पर चयन किया जायेगा। शेष पद-विषयों से उसका चयन निरस्त किया जायेगा।
5. पात्रता सम्बन्धी दस्तावेजों की जांच का एक अवसर देने के बाद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो बाद में उसके दफे को स्वीकार नहीं किया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. दस्तावेज सत्यापन में प्राप्त अभ्यर्थियों को लेवलवार/पदवार देखभालित पदों के अनुसार अन्तिम रूप से चयन कर राज्य स्तरीय वरीयता सूची (Merit List) तैयार की जायेगी एवं चयनित अभ्यर्थियों को उनकी नैरेट, चयन दर्ज एवं ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जिलों की प्राथमिकता क्रम के अनुसार जिला आवंटन कर गिद्युक्ति हेतु सूची संबंधित जिला परिषदों को भेजी जायेगी।
7. संबंधित जिला परिषद के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की अंतिम रूप से जांच कर राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती में नवचयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।
8. राज्य स्तरीय नैरेट अभ्यर्थी के शीट-2021 में अर्जित दस्तावेजिक प्रश्नांकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

नोट-समन दरें एता (Merit) प्राप्त करने वाले अर्थात् जो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तक होंगे पर इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र के अनुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी। जन्म तिथि तथा प्राप्तक समान होंगे पर अभ्यर्थी की उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्रश्नांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्व में उत्तीर्ण किये गये वर्ष को प्राथमिकता देते हुए वरीयता निर्धारित की जायेगी।

PL

15 अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्नांकित प्रारूप में घोषणा एवं शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

15.1 आवेदक द्वारा घोषणा एवं शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री (नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैं राजस्थान पंचायती राज नियम-1998 के संबंधित नहीं नियमों के लिए निर्धारित लानान्य निर्देशों का अध्ययन कर लेता हूँ। उनमें की गलत करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
2. मैं जितने भी विद्यार्थी के नाम सूची लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी
3. मुझे जितने भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय में कभी दण्डित नहीं किया है पूर्व आयोजित प्रतियोगी/प्राथम परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। मेरे निरूद्ध कितने भी न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है।
4. (अभिकर्मी कर्मचारी या विद्यार्थी की स्थिति में पहले ही प्रत्यक्ष संबंधी पूर्ण वसुधैविता के साथ निदेशालय प्रशासिक शिक्षा राजस्थान सरकार में प्रतिवेदन गेजुंग/गेजुंगे ऑर 30 दिवस में गानल का निरस्तण न होने के नन्वत ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कसकला करण/करणी।
(इ) यदि मैंने अकस्मात अथवा अकस्मिक तथ्य को तोड़ कर निदेशालय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चलाया तो निदेशालय को सन्तुष्टि गुआरण देने की बाध्य होऊँगा/होऊँगी।
5. मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अधिरूतना दिनांक 23 अगस्त 2010 सपत्ति (29 जुलाई 2011) के संशोधित मानकानुसार, NCTE की Guidelines का राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार नियुक्ति को मान्य रखता/रखती हूँ।
6. मैं नियुक्त एवं शपथ शिमा अधिनियम- 2009 की धारा 2 के खण्ड (ब) में सम्बन्धित शक्तों में अध्यापक के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह नया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज नहीं पर जाते हैं या सूत्र शपथ-पत्र दिया गया है तो मैं राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाऊँगा/नहीं जाऊँगी।
7. मिच्छा करी/अति मिच्छा करी से सम्बन्धित दस्तावेज पत्र वैध अर्थ का है।
8. आवेदन पत्र में कमी भ्रष्टि होणे, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र/पत्रिका नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
9. ऑनलाईन भर गया आवेदन-पत्र, घोषणा पत्र, शपथ-पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज शक्तों के गानल सुरक्षित रखता/रखती, निर्दिष्ट कार्यालय द्वारा भगवान जाने का निर्देशानुसार उपा करूँगा/करूँगी।
10. मैं मूल दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इन्हें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई अन्य गलत गाना जाने तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
11. मैं इस तथ्य से भविष्यति अवगत हूँ कि निर्धारित प्राप्ति प्राप्ति होने अथवा योग्यता सूची में शामिल होने से ही मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
12. मुझे यह जानकारी है कि मैं REET-2021 में जयता प्राप्त करने के वाक्युद सम्बन्धित शिक्षक वाक्यक्रम (बी.एड/बी.एस.सी.सी.) सम्पत्ति होने पर ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती हेतु पत्र गाना जाऊँगा/जाऊँगी।
13. मैं इस तथ्य से भविष्यति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस भर्ती से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त संबंधित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोजित संस्था के सन्वत प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।
14. मैं इस उपा से भविष्यति अवगत हूँ कि गलत है। मेरिड लिस्ट में सम्मेलित होने मने के लिए एक वाक्युदक दस्तावेज सम्पत्ति है। मात्र इस कारण से मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :
 दिनांक :
 मोबाइल नम्बर :
 पेशवा नम्बर :

नाम :
 पता :

रज-सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री द्वारा जाति
 निवासी प्रपणर राजस्थान राजस्थान करता/करती हूँ कि राज्य शपथ-पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सच एवं सत्य हैं। इसमें मेरे कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर :-

अभ्यर्थी का नाम :
 मोबाइल नम्बर :

15.2 आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची

सभी भर्ती में उम्मीदवारों से उम्मीदवारों को आवेदन पत्र, प्रयोग-पत्र तथा प्रयोग-पत्र 22 अन्य संलग्नक दस्तावेजों की संलग्नक प्रतिमां उन कक्षाई लारेंगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना सन्धर-पत्रों के माध्यम से अध्यात्मता प्रकाशित करवा दी जायेगी।

क्र. सं.	दस्तावेज / प्रमाण-पत्र का नाम	संलग्नक सं.
1	ऑनलाइन आवेदन की प्रति	
2	प्रयोग-पत्र एवं शपथ पत्र (अनुसूचित निर्धारित प्रारूप में)	
3	संबन्धित/सम्बन्ध की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
4	सिन्ड्रेट संकेतपत्रों/साक्षात् की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
5	स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति	
6	स्नातकोत्तर की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
7	प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय शिप्ट/सम्बन्ध की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
8	विशेष शिक्षा के अंतर्गत भारतीय पुनर्वासि विभाग से जारी प्रमाणित प्रमाण पत्र	
9	MET-2021 का प्रमाण पत्र।	
10	सूचना निदेशक संख्या-11/2021 की प्रमाणित प्रति।	
11	आवेदन पत्र के अंतर्गत वर्ग के अयोग्यता की पहचान करने के लिए प्रमाणित प्रमाण पत्र में जारी 'Income & Asset Certificate' जति प्रमाण पत्र। अन्य शिक्षा वर्ग/अति शिक्षा वर्ग/अनुसूचित जति/अनुसूचित जाति/सामाजिक आदिन जति की प्रमाणित प्रति। नोट :- अन्य प्रमाण पत्र/अति शिक्षा वर्ग के लिए वेब अडमिशन प्रमाण पत्र हो।	
12	विशेष की स्थिति में उम्मीदवारों का शपथ पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति, पति के लिए दस्तावेज / साक्ष्य की प्रति व पुनर्विवाह नहीं किया है का शपथ-पत्र।	
13	उत्पादन शुद्ध होने पर न्यायालय निर्णय/डिप्टी की प्रमाणित प्रति व पुनर्विवाह नहीं किया है का शपथ-पत्र	
14	सम्मान लेखों प्रमाण-पत्र।	
15	विवाहित होने पर दहेज गलती होने संबंधी शपथ पत्र।	
16	भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवा निवृत्ति/सैन्य प्रमाणित प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में प्राप्त होने के संबंध में स्व घोषणा	
17	उत्कृष्ट विदाई होने पर निधम/सुरक्षा सहायता से जारी उल्लेख प्रमाण पत्र।	
18	राजस्थान विद्यार्थी नियम-2018 के अनुसार गेटिंगल गेट द्वारा प्रपत्र निशकता का प्रमाण पत्र।	
19	पुस्तक संलग्नक प्रमाण पत्र एवं हर संबंध में स्व संलग्नक प्रमाण पत्र।	
20	सहायक शिक्षक अधिकारी द्वारा जारी दिवंगत प्रमाण पत्र	
21	सर्व सैन्य शपथ/संलग्नक में कार्यरत होने पर गेसबल अधिकारी द्वारा जारी उम्मीदवार प्रमाण पत्र	
22	अन्य आवश्यक दस्तावेज	
	कुल संलग्नकों की संख्या	

आवेदकों को दिशा निर्देशों हेतु ई-मेल-लाइन तथा ई-मेल की सुविधा :

उम्मीदवारों को आवेदन के विषय में किसी भी प्रकार के मार्ग दर्शन/सूचना/साक्षात्करण के लिए सभी जर्नल दिवसों में प्राप्त (सोमवार) के साथ (गुरुवार) के नव्य निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर पर कतिपय रूप से संपर्क कर सकते हैं। अध्यात्मता हेतु 0151-2207047 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं। अध्यात्मता वेब साईट पर सम्पूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा एवं पंजाब (प्राथमिक)
राजस्थान बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22

विज्ञापन संख्या 01/2021-22

अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Area) हेतु अध्यापक लेवल-प्रथम, सामान्य/टिरेण्ड शिक्षा के विज्ञापित पदों का विवरण

क्र.स	जिला	सामान्य शिक्षक	विशेष शिक्षक			कुल
			एम.अर.	बी.आई	एच.आई	
1	AJMFR	450	11	04	05	470
2	ALWAR	640	14	03	08	665
3	BARAN	215	06	01	03	225
4	BARMER	1165	10	03	10	1188
5	BHARATPUR	485	07	02	04	498
6	BHILWARA	560	13	03	07	583
7	BIKANER	340	06	03	06	355
8	BUNDI	340	06	02	03	351
9	CHITTORGARH	360	09	02	04	375
10	CHURU	320	06	01	04	331
11	DAUSA	350	06	01	04	361
12	DHOLPUR	265	06	02	04	277
13	HANUMANGARH	330	08	02	04	344
14	JAIPUR	700	15	03	09	727
15	JAISALMER	290	05	01	03	299
16	JALORE	400	05	02	04	411
17	JHALWARA	310	06	02	03	321
18	JHUMHJNU	200	07	02	03	212
19	JODHPUR	650	10	04	11	675
20	KARAUJI	425	04	01	03	433
21	KOTA	190	07	01	03	201
22	NAGOUR	400	13	03	09	425
23	PAL	385	07	02	03	397
24	RAJSAMAND	330	06	02	03	341
25	SAWAIMADHOPUR	270	07	01	03	281
26	SHRI GANGANAGAR	260	11	04	08	283
27	SIKAR	350	06	01	04	361
28	SIROHI	150	05	02	02	159
29	TONK	220	06	01	03	230
30	UDAIPUR	150	05	03	03	161
	Total	11500	233	64	143	11940

021

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं पं.राज (प्राथि)
राजस्थान बीकानेर